# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
## राजस्व वादपत्र संख्या :–49 / 2023

1. मालचन्द पुत्र नन्दलाल निवासी कालू तहः लूनकरनसनर

.....प्रार्थी

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

## वादपत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

**आदेश** **दिनांक :–6.4.23**

यह प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि प्रार्थी के नाम चक 41 केजेडी के मु0नं0 47 / 60, 67 / 4 की कुल 39.00 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गलती से मामचन्द अंकित हो गया है जबकि प्रार्थी का सही नाम मालचन्द है और इसी नाम से आवंटन आवेदनपत्र किया व अनय पहचान दस्तावेज भी इसी नाम से है। राजस्व रिकॉर्ड में उक्त नाम सुधार करवाकर मालचन्द किये जाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के पक्ष में दस्तावेज राशनकार्ड, परिचयपत्र, मूल आवंटन पत्रावली आदि की छायाप्रति पेश की गई जिनमें प्रार्थी का नाम मालचन्द है। मूल आवंटन पत्रावली में आवेदन व शपथपत्र में मालचन्द अंकित है। तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट अनुसार उक्त वादगत भूमि उक्त वादगत भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में मामचन्द पुत्र नन्दलाल जाति ब्राह्मण निवासी कालू तहः लूणकरनसर पुख्ता आवंटन दर्ज है। जमाबंदी व आवंटन आदेश में प्रार्थी के नाम में अन्तर है और जमाबन्दी में सहवन से मामचन्द दर्ज है एवं सही नाम मालचन्द किया जाने हेतु रिपोर्ट पेश की है। बहस सुनी गई।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र व प्रस्तुत दस्तावेज का अध्ययन अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। न्यायालय का उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निष्कर्ष है कि चक 41 केजेडी के मु0नं0 47 / 60, 67 / 4 की कुल 39.00 बीघा भूमि प्रार्थी का नाम मामचन्द के स्थान पर मालचन्द उर्फ मामचन्द किया जाना न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायहित धारा 136 एलआरएक्ट एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि उक्त वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम मामचन्द के स्थान पर मालचन्द उर्फ मामचन्द नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक .......................... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)